न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 106/2016/डिक्री

मोहन पिता रूपा मोग्या
निवासी जन्ताई तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. नानीबाई पुत्री रूपा मोग्या
2. बाबरी पुत्री रूपा मोग्या
3. प्रकाश पिता रामेश्वरलाल मोग्या
4. कुस्बा पिता रामेश्वरलाल मोग्या
5. हीरा पिता रामेश्वरलाल मोग्या
6. कन्ना पिता रामेश्वरलाल मोग्या
7. सुगना पत्नि रामेश्वरलाल मोग्या
8. कालु पिता प्यारा मोग्या
9. गीता पिता प्यारा मोग्या
10. सुगना पिता प्यारा मोग्या
11. मु0 नवली पत्नि प्यारा मोग्या
12. गोपाल पिता शम्भु मोग्या
13. मु0 धापु बाई पत्नि शम्भु मोग्या
    सभी निवासी जन्ताई तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
14. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी
दिनांक 08.01.2016 प्रकरण सं. 36/2014

उपस्थित – 1. श्री सावन श्रीमाली – अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय दिनांक– 01.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा दिनांक 08/07/2014 को वाद पत्र न्यायालय सहायक कलेक्टर बडीसादडी के समक्ष प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण मे वादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी नम्बर 130, 139, 146, 147, 159, 243, 245, 246, 277, 278, 282, 288 कुल किता 12 कुल रकबा 3.48 है0 को पुश्तैनी जायदाद बताकर बंटवाडा के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त वाद पत्र अपीलान्ट को सम्मन प्राप्त हो न्यायालय मे उपस्थित होकर अधिवक्ता द्वारा जवाब के लिए अवसर चाहा गया। दिनांक 22/12/2015 से पेशी वास्ते जवाब हेतु दिनांक 04/02/2016 को नियत की गई। अपीलान्ट को दिनांक 04/02/2016 की पेशी की है जानकारी रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04/02/2016 से पूर्व ही बिना किसी जानकारी एवं प्रोपर तामील के पत्रावली को लोक अदालत मे नियत दिनांक 08/01/2016 को पेशी नियत कर बिना कोई सुनवाई का मौका दिये लोक अदालत मे सहमति के बिना निर्णित कर निर्णय मे भूल की है। अपीलान्ट की लोक अदालत मे पत्रावली निस्तारण की कोई सहमति नही रही है और न ही लोक अदालत की पेशी की कोई जानकारी रही है। उक्त प्रकरण मे दिनांक 08/01/2016 को विधि विपरीत गैर कानूनी निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। इससे असंतुष्ट होकर वादी अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. यह कि अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर न्यायालय मे बचान कथन स्पष्टीकरण एवं विस्तृत तथ्यो को रखना चाहा है और परस्पर प्रकरण मे जवाब कथन प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहा है। किसी भी प्रकार से प्रकरण लोक अदालत मे रखे जाने की सहमति अपीलान्ट द्वारा नही दी गई। लोक अदालत मे वो ही प्रकरण निस्तारित किये जा सकते है जो कि आपसी सहमति एवं राजीनामे से निर्णित हो। अपील पेश करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। दिनांक 06/04/2016 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 एवं धारा 151 जा0दी0 भी पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08/01/2016 अपास्त एवं निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण बहस नही सुनी जा सकी।

4. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई एवं ममन किया गया। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना

निर्णय पारित किया गया है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी द्वारा प्रकरण संख्या 36/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 08/01/2016 को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़